जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 01.07.2024**

पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन में जनपद शामली के समस्त थानों पर आज दिनांक 01.07.2024 से लागू नये कानून के उपलक्ष्य में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 01.07.2024 को भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित 03 नये आपराधिक कानूनों के देशभर में लागू होने के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समस्त थाना क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों, स्कूली छात्र-छात्राओं तथा आम नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि देश में 3 नये आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, इसके तहत कई कानून बदल गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे, ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता(BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम(BSA), इन तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय सुगम होगा तथा नए कानून से मुकदमों का जल्दी निस्तारण हो सकेगा। नये कानूनों के अन्तर्गत भारतीय नारी, मासूम बच्चों, बुजुर्गों को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। भारतीयों के भावनाओं की संहिता का अभिनंदन करें। कार्यक्रम के दौरान नये आपराधिक कानून के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों, अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में आम नागरिकों एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को जानकारी दी गई।

थाना झिंझाना व थानाभवन पुलिस द्वारा वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 01.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना व थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.संजू पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम खेडी खुशनाम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.तिलक पुत्र हरिराम ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मरगूब पुत्र अल्लादिया निवासी मौहल्ला जामिनअली जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI